

**बिहार सरकार
स्वास्थ्य निदेशालय
आदेश**

आ0सं0-6/एन0-08-85/2021-.....

/पटना-15, दिनांक-.....

विभागीय आदेश ज्ञापांक-85(6), दिनांक-09.02.2022 द्वारा नर्सिंग ट्रेनिंग रिकोगनिशन, एफिलिएशन एवं कंडक्ट ऑफ एक्जामिनेशन्स ऑफ नर्सिंग रूल्स, 1997 के नियम-4(ii) के आलोक में रामचन्द्र प्रसाद मेमोरियल ट्रस्ट, काशी बाजार छपरा, सारण-841301 द्वारा प्रस्तावित के0आर0 नर्सिंग कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, काशी बाजार, पोस्ट+थाना-भगवान बाजार, जिला-सारण-841301 को बी0एस0सी0 नर्सिंग संस्थान की स्थापना के लिए अनुमति प्रदान किया गया।

2 - विभागीय आदेश ज्ञापांक-20434/2022, दिनांक-23.03.2022 द्वारा संस्थान को मान्यता प्रदान किए जाने हेतु डॉ0 सुरेन्द्र कुमार चौधरी, अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। विशेषज्ञ समिति द्वारा भारतीय उपचर्या परिषद्, नई दिल्ली एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप उपलब्ध भौतिक संसाधनों, मानव संसाधनों तथा अन्य सुविधाओं की जांच एवं निरीक्षण कर प्रतिवेदन समर्पित किया गया।

3 - विशेषज्ञ समिति के अनुशंसा के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त के0आर0 नर्सिंग कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, काशी बाजार, पोस्ट+थाना-भगवान बाजार, जिला-सारण-841301 को नर्सिंग ट्रेनिंग रिकोगनिशन, एफिलिएशन एवं कंडक्ट ऑफ एक्जामिनेशन्स ऑफ नर्सिंग रूल्स, 1997 के नियम-4 (iii) के आलोक में बी0एस0सी0 नर्सिंग प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में 60 (साठ) सीटों पर नामांकन लेने हेतु एक सत्र के लिए निम्न शर्तों पर मान्यता प्रदान की जाती है:-

- (क) संस्थान भारतीय उपचर्या परिषद्, नई दिल्ली एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों/निर्देशों का अक्षरशः पालन करते हुए संचालित की जायेगी। असेैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सारण समय-समय पर संस्थान की गुणवत्ता का निरीक्षण कर प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे।
- (ख) नर्सिंग ट्रेनिंग रिकोगनिशन, एफिलिएशन एवं कंडक्ट ऑफ एक्जामिनेशन्स ऑफ नर्सिंग रूल्स, 1997 एवं समय-समय पर सरकार द्वारा लागू की गयी नियमावली में निहित प्रावधानों का अनुपालन संस्थान द्वारा किया जायेगा। भारतीय उपचर्या परिषद् की अर्हताओं की अवहेलना होते ही संस्थान की मान्यता रद्द कर दी जायेगी।
- (ग) उक्त संस्थान भारतीय उपचर्या परिषद्, नई दिल्ली द्वारा निर्गत अद्यतन दिशा-निर्देश के आलोक में अपना निरीक्षण करा लेंगे।
- (घ) कुल आवंटित सीटों में से 50% छात्र/छात्राओं का नामांकन सरकार के निर्णयानुसार की जायेगी।
- (ङ) संस्थान आर्यभट नॉलेज युनिवर्सिटी, मीठापुर फॉर्म एरिया, मीठापुर, पटना से संबद्धता प्राप्त कर लेगी।
- (च) संस्थान की प्रशासी इकाई में (i) क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, सारण प्रमंडल, सारण (ii) सिविल सर्जन, सारण तथा (iii) अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सारण को सदस्य मनोनीत किया जाता है।

4 - इसमें माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-

(शैलेश कुमार)

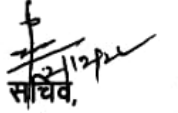
उप सचिव,

स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना ;

ज्ञापक : 6/एन0-08-85/2021.....1391(6)

पटना दिनांक - 02/12/2022

- प्रतिलिपि:- निदेशक, रामचन्द्र प्रसाद मेमोरियल ट्रस्ट, काशी बाजार छपरा, सारण-841301 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- सचिव, भारतीय उपचर्या परिषद्, 8वां तल्ल, एन0बी0सी0सी0 सेंटर, प्लॉट नं0-2, कम्युनिटी सेंटर, ओखला फेज-01, नई दिल्ली-110020/निबंधक, बिहार परिचारिका निबंधन परिषद्, पटना/क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, सारण प्रमंडल, सारण/सिविल सर्जन, सारण/अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर सचिव के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- परीक्षा नियंत्रक, स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- निबंधक, आर्यभट नॉलेज युनिवर्सिटी, मीठापुर फॉर्म एरिया, मीठापुर, पटना-800001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- विशेष कार्य पदाधिकारी, बी0सी0ई0सी0ई0बोर्ड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी, सारण को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


उप सचिव,

स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।



बिहार परिचारिका निबंधन परिषद्, पटना

नया सचिवालय, तीसरा तल्ला, कमरा संख्या 330 (A)

बेली रोड, पटना 800 015, (बिहार)

फोन नंबर: 0612-2215001

ईमेल आई.डी.: registar.bnrc@gmail.com



सं०सं०-891/बी०एन०आर०सी०/2022/2310/BNRC दिनांक 02/12/2022

--: सहमति पत्र --:

प्रेषक,

निबंधक,

बिहार परिचारिका निबंधन परिषद्, पटना।

सेवा में,

सचिव,

कै०आर० नर्सिंग कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल,

पता-काशी बाजार, भगवान बाजार, छपरा, सारण-841301

विषय :-

सहमति पत्र के संबंध में।

प्रसंग :-

स्वास्थ्य निदेशालय, बिहार सरकार आदेश ज्ञापांक 1391(6), दिनांक 02.12.2022.

महाराज/महाराया,

उपर्युक्त विषयक, आपके पत्रांक 13/2022, दिनांक 02.12.2022 के आलोक में सूचित करना है कि स्वास्थ्य निदेशालय, बिहार, पटना के आदेश ज्ञापांक 1391(6), दिनांक 02.12.2022 के द्वारा आपके प्रशिक्षण संस्थान को बी०एन०सी० नर्सिंग प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में 60 (साठ) सीटों के साथ नामांकन लेने हेतु एक सत्र के लिए मान्यता प्रदान की गई है।

बिभागीय आदेश ज्ञापांक 1391(6), दिनांक 02.12.2022 के आलोक में संबंधित संस्थान को निर्गत मान्यता की सहमति के साथ एक सत्र (2022-23) का निर्धारण किया जाता है।

विश्वासभाजन

हस्ताक्षर :-

निबंधक

ज्ञापांक-सं०सं०-891/बी०एन०आर०सी०/2022/2310..... दिनांक 02/12/2022

प्रतिलिपि:-

सचिव, भारतीय उपचर्या परिषद्, नई दिल्ली, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-

निबंधक, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, मिठापुर, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-

निदेशक प्रमुख(नर्सिंग)-सह-अध्यक्ष, बिहार परिचारिका निबंधन परिषद्, पटना, को सूचनार्थ प्रेषित।


निबंधक



आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय

ज्ञान परिसर, मीठापुर, पटना-800 001

दूरभाष:-0612-2351919, ई-मेल:-akuniv10@gmail.com

Ref. No. 006/Affili/635/AKU/2022 - 311.

Date: 25.01.2023

From

The Registrar,
Aryabhatta Knowledge University,
Patna-800 001.

To

The Principal,
K.R Nursing College & Hospital
Kashi Bazar, P.O + P.S- Bhagwan Bazar,
Saran- 841301

Subject: Provisional affiliation for the academic session 2022-23.

Ref. :- 58th Board of Affiliation held on the dated 21-01-2023.

Sir,

It has reference to your proposal regarding granting provisional affiliation for the session 2022-23 to your institute for above mentioned courses. On the Basis of the report of the inspection team, who visited your institute on 31/12/2022 and as per the recommendations of statutory bodies of the University. I am directed to inform you that your institute is granted provisional affiliation to run B.Sc Nursing with (60 Seats) for the academic session 2022-23.

Your college is granted Provisional affiliation to Aryabhatta Knowledge University, Patna on the following terms & conditions:-

1. This provisional affiliation is presently for one year only for the academic session 2022-23.
2. This provisional affiliation is based upon the approval accorded to your institute by Bihar Nurse Registration Council, Patna vide Memo No. 891/BNRC/2022/2310, dated 02/12/2022.
3. The provisional affiliation is subject to your attending to all the deficiencies / short coming /advices suggestions pointed out by the inspection team in its report dated 31/12/2022 (attached) in the meantime and send compliance report through affidavit within a period of 03(Three) months to the University from the date of issue of this letter.
4. In light of university notification vide letter no. 004/FIN/038/AKU/2014-1323, dated 18-05-2020, the college is directed to deposit the amount of Endowment Fee 5,00,000/- (Five Lakhs only) in any nationalised/scheduled bank branch as Fixed Deposit in the name of college and thereafter the said FD will be pledge infavour of the Registrar, Aryabhatta Knowledge University, Patna within a period of 03(Three) months to the University from the date of issue of this letter.
5. The University may inspect your college at any working day without information to check the infrastructure and other academic activity of your college as per guidelines of Government of Bihar/ Aryabhatta Knowledge University, Patna.



Abhayan.



आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय

ज्ञान परिसर, मीठापुर, पटना-800 001

दूरभाष:-0612-2351919, ई-मेल:-akuniv10@gmail.com

6. All minutes of Governing Body should be submitted to office of Aryabhatta Knowledge University, Patna at the earliest.
7. When any vacant posts will be filled by the college/institute, University representative should be invited and appointments must be done in presence of University Representative.
8. College is requested to approve all teaching & non-teaching employees as per guidelines of the University in three months.
9. This Provisional affiliation shall not take effect unless it is approved by the State Government.
10. This provisional affiliation has been granted in anticipation of approval of the Court, Aryabhatta Knowledge University, Patna.
11. Failing the above terms & conditions, this letter will be automatically treated as withdrawn. In such a case no further correspondence shall be entertained.

By Order of the Vice-Chancellor

Yours faithfully,

Registrar

Aryabhatta Knowledge University, Patna

2/2/17